

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,  
अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2017

विषय : राजकीय विभागों द्वारा कार्य संविदा अथवा वस्तुओं के क्रय के विरुद्ध किये गये भुगतान पर निर्धारित प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर की कटौती सुनिश्चित कराया जाना।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य सचिव, उ०प्र० के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत राजकीय विभागों, कार्यदायी संस्थाओं एवं स्थानीय निगमों द्वारा कार्य संविदा के अन्तर्गत किये गये भुगतान तथा क्रय की गई वस्तुओं के भुगतान पर निर्धारित प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर का टी०डी०एस० (Tax deduction at source) की कटौती किये जाने के प्राविधानों से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया था कि जनपदों में राजकीय विभागों/स्थानीय निकायों/कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा की गयी खरीद एवं कार्य संविदा के अन्तर्गत किये गये/कराये गये कार्य के भुगतान पर नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती (टी०डी०एस०) करते हुए वाणिज्य कर विभाग के लेखाशीर्ष/उपशीर्ष में जमा करायी जाये।

2- शासन की विज्ञप्ति संख्या-1315 दिनांक 07-10-2013 द्वारा निम्न विभागों/संस्थाओं को प्रान्त के अन्दर के व्यापारियों से किसी कर योग्य माल का क्रय करने पर अथवा कार्य संविदा के निष्पादन से सम्बन्धित भुगतान करने पर निर्धारित प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर की कटौती किये जाने का प्राविधान किया गया है :-

- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों।
- (2) उ०प्र० राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी।
- (3) किसी केन्द्रीय अधिनियम या उ०प्र० अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या किसी निगम का उपक्रम।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान अथवा प्रशिक्षण केन्द्र।

3- इस क्रम में निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ को प्रेषित शासन के पत्र संख्या-ए-1-880/दस-2016-10(26)/2016, दिनांक 10 नवम्बर, 2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक-2543/5450/9(विविध)/2014/स्टाम्प/को0नि0/प्रावि0, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं, किन्तु प्रकरण में अपेक्षित प्रगति दृष्टिगत नहीं हुयी है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रान्त के अन्तर्गत व्यापारियों को कार्य संविदा के अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध अथवा क्रय किये गये माल के विरुद्ध भुगतान सम्बन्धी बिल प्राप्त होने पर उनके भुगतान से पूर्व निर्धारित प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर की कटौती कर लिया जाना सुनिश्चित होने पर ही सम्बन्धित बिल भुगतान किया जाये तथा सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न प्रारूप में अंकित कराया जाये। उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बिल पारित करने वाले सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी का होगा। इसकी अवहेलना किये जाने पर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,  
अनूप चन्द्र पाण्डेय,  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-5/2017/ए-1-133(1)/दस-2017-10(26)/2016, तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) निदेशक, कोषागार निदेशालय 30प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,  
राजीव श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव।

वाणिज्य कर टी0डी0एस0कटौती प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री .....(संविदि/आपूर्तिकर्ता/  
विक्रेता का नाम) टिन संख्या-..... से क्रय आदेश/कार्य संविदा  
संख्या-..... दिनांक ..... के अन्तर्गत कराये गये कार्य/क्रय किये  
गये माल से सम्बन्धित प्रश्नगत् भुगतान रू0 .....पर .....प्रतिशत की दर से  
रू0 .....वाणिज्य कर टी0डी0एस0 की कटौती प्रस्तुत बिलों से कर ली गयी है/यह  
धनराशि बैंक का नाम.....शाखा/जनपद-.....में वाणिज्य कर के  
लेखाशीर्ष-0040001110600 में पूर्व में ही जमा कर दी गयी है।

स्थान :

दिनांक :

आहरण वितरण अधिकारी का नाम.....

पदनाम.....

विभाग का नाम .....

जनपद का नाम .....

कार्यालय की मोहर

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।